Research Journal of Language, Literature and Humanities ISSN 2348-6252
Vol. **4(2),** 1-7, February **(2017)** *Res. J. Lang. Lit. Humanities*

खाप क्षेत्र के अंतगर्त गोत्र और वैवाहिक नियम "हरियाणा (भारत) के विशेष संदर्भ में"

विवेक पाठक

अहिंसा और शांति अध्ययन विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र, भारत
Vivek.pathak371@gmail.com

Available online at: www.isca.in, www.isca.me
Received 23th September 2016, revised 10th January 2017, accepted 5th February 2017

शोध सार

प्रस्तुत आलेख खाप पंचायत के अंतरगर्त गोत्र और उनके वैवाहिक नियम पर आधारित हैं| जाट गोत्रों कि संख्या 2500 से 2700 से अधिक का विवरण मिलता हैं | पिछले 20 साल से हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बसे जाट समुदाय के गांवों में विवाह संबंधित सामाजिक मान्यता तथा क़ानूनी वैधता को लेकर के अनेक प्रकार के विवाद और हिंसक घटनायें हुई हैं| गोत के लोग किसी गाँव में यहाँ के सभी गाँव के दूसरे से गोत्र से जुड़े होने के कारण उस गाँव के सभी लोग रिश्तें के अंतरगर्त आने लगते हैं | अर्थात इन सभी गाँव में रहने वाले सभी लड़के और लड़की एक दूसरे के भाई और बहन के साथ-साथ एक दूसरे के गाँव की बेटी लगने लगती हैं| जिसका परिणाम यह होता हैं की गाँव के गाँव में शादी नहीं की जाती हैं| ऐसा इसलिए की कोई अपनी बेटी का विवाह अपने भाई के साथ नहीं करेगा| यदि कोई कर भी लेता हैं तो गाँव की बेटी होने के कारण उसे कोई अपने गाँव की बहू स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता हैं |

शब्दकुंजिया: खाप, जाट, गोत्र, गाँव, वैवाहिक नियम

परिचय

शोध प्रश्न: गोत्र क्या हैं| जाटों के गोत्र का विकास कैसे हुआ| खाप क्षेत्र के अंतरगर्त विवाह के नियम क्या है|

शोध पेपर का उद्देश्य: जाटों के गोत्र उत्पत्ति को उजागर करना| खाप क्षेत्र के अंतरगर्त विवाह नियम में हों रहे बदलाव को समझना|

उपकल्पना: हरियाणा के सभी जिलों में विवाह का एक नियम नहीं है| खाप पंचायतें अब अपनी संरचना को खोल रहे है ताकि अविवाहित युवकों का विवाह किया जा सके|

खाप और गोत्र (गोत्र का प्रारम्भिक परिचय और अर्थ, जाट और गोत्र)

बहुत सारी जातियो में सगोत्रीय विवाह वर्जित हैं| कुछ जातियो में माँ, दादी और कही-कही-नानी के गोत्र में भी विवाह नहीं किये जाते हैं| हालांकि विवाह ही वह माध्यम हैं जिसके द्वारा निकट संबंधियों या रिश्तेदारों का उद्भव होता हैं| फिर भी मानव समाजों में अनेक निकट के रक्त संबंधियों से विवाह करने की मनाही होती हैं| जिसके परिणाम स्वरूप ही इस नियम को "निषिद्ध निकटाभिगम" नियम (In Cast Taboo) कहा जाता हैं|[1] अर्थात निकट संबधी के बीच विवाह नहीं होता हैं| वर्ष 2009 में हरियाणा राज्य में आधा दर्जन से ज्यादा गोत्र विवाद सुर्खियों में रहे हैं और खाप पंचायतों या जाति पंचायतों के फैसले सरकार के लिये परेशानी का कारण बने| लेकिन खाप पंचायतों के लिए यह पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था और मर्यादा का उलंघन का प्रश्न था| जिससे हरियाणा राज्य में तनाव की स्थिति बनी रही| इस आधार पर हमें समस्या का समाधान ढूढने के लिए व्यापक दृष्टिकोण की जरूरत हैं | यहाँ हम गोत्र की चर्चा करेगे| जो पिछले 20 साल से हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बसे जाट समुदाय के गांवों में विवाह संबंधित सामाजिक मान्यता तथा क़ानूनी वैधता को लेकर उठे अनेक प्रकार के विवाद को ले करके जों हिंसक घटनाये हुई उसने सभी को चिंता में ड़ाल दिया| गौरतलब हैं की गोत्र शब्द का उल्लेख सबसे पहले "प्राचीन भारत" में डी.डी कौशम्बी ने किया था| उन्होने गोत्र को परिभाषित करते हुए कहा की ऋग्वेद में गोत्र शब्द का वर्णन एक गोशाला के रूप में हुआ हैं| जिसके

कारण गोत्र का अर्थ पशुओं का झुंड अथवा पशुओं का बाड़ा हुआ|[2] यदि हम गोत्र के गठन को देखे तो ज्ञात होता हैं की इसका प्रमुख आधार आर्थिक क्रियाकलाप रहे होगे| जो लोग एक साथ पशुपालन करते और एक साथ रहते थे| कुछ समय के बाद आपस में एक साथ पर रह कर एक इकाई बन जाते थे| जो एक गोत्र कहलाते थे| इस प्रकार प्राचीन भारत में गोत्र की शुरुआत हुई[3] गोत्र का अन्य अर्थ वंश भी होता हैं| जो एक ऋषि के माध्यम से शुरू होता हैं| जो हमारे पूर्वजों की याद दिलाता हैं एक समान गोत्र वाले एक ही ऋषि परंपरा के प्रतिनिधि होने के कारण आपस में भाई-बहन समझे जाने लगे| प्रारम्भ में सात गोत्र थे|[4] गोत्रों की परंपरा प्राचीन ऋषियों से चली आ रही हैं| मान्यता है की ब्रह्मा के चार पुत्र हुए - भृगु, अंगिरा, मरीचि और अत्रि| वे चारों गोत्र कर्ता कहलाये| कुछ समय के बाद भृगु के कुल में जमदिग्गनी, अंगिरा के कुल में गौतम और भारद्वाज तथा मरीचि के कुल में कश्यप, वशिष्ठ और अगस्त्य एवं विश्वामित्र| ये सात ऋषि आगे चलकर के गोत्र कर्ता या वंश चलाने वाले हुए| इन्ही मूल आठ ऋषियों को गोत्र कृत माना गया हैं|[5] गोत्र को रक्त संबंध पर आधारित एक इकाई भी माना जाता हैं| जिसका निवास एक वंश-संस्थापक या गोत्र कृत से माना जाता है| इसी प्रकार सपिण्ड से तात्पर्य पूतकुल के 6 पूर्वजों से और उनके 6 पीढ़ी तक के वंशजों से था|[6] आगे चलकर के इन्ही ऋषियों के नाम पर गोत्र चल पड़े| गोत्र मूलतः एक ब्राह्मण संस्था थी जो अन्य द्विज श्रेणियों द्वारा अनिच्छापूर्वक अपनायी गई थी समस्त ब्राह्मण की उत्तपति किसी न किसी ऋषि द्वारा मानी जाती हैं| जिसके आधार पर गोत्र का नामकरण हुआ|

गोत्रों का महत्व इसलिए भी था की एक ही गोत्र के व्यक्तियों के बीच विवाह निषेध था| बाद में आगे चल करके प्रवर के द्वार स्थिति और भी जटिल हो गयी| ब्राह्मण अपने दैनिक पूजन में न केवल अपने गोत्र के संस्थापक का ही नाम लेता था| वरन कुछ अन्य ऋषियों के नाम भी जों उसके कुटुंब के सुदूर पूर्वज मनाने जाते थे जों साधारणतय तीन या पाँच नाम होते थे| कुछ गोत्रों की रीतियों के अनुसार अन्य गोत्रों के सदस्यों के साथ विवाह का निषेध कर दिया गया था| यदि उसमें एक प्रवर का नाम समान हो जबकि अन्य गोत्र न केवल प्रवर में दो समान नामों के होने पर अंतरविवाह को निषेध ठहराया गया है[7] सामान्य रूप से कहा जा सकता हैं गोत्र का मतलब कुल अथवा वंश परंपरा से हैं| जिसका अर्थ है की कुल परिवार की संज्ञा थी| वही कई पीढ़ियों तक चलाने वाला वंश कहलता था|[6] वासुदेव शरण अग्रवाल भी कुल की संज्ञा परिवार से संबंधित करते हैं और संपिंड के संदर्भ में कहते हैं की पिता की सातवी पीढ़ी और माता की पाचवी पीढ़ी तक संबंधी संपिंड कहलाते है|[5] गोत्र में यह भी एक धारणा हैं की परिवार के सदस्यों की उत्तपति किसी एक पूर्वज से हुई हैं| जो एक ही गोत्र से संबंधित हैं| जैसा की ऊपर उल्लेख किया गया था की झुंड के रूप में समूह में एक साथ रहने पर वह अपने को एक दूसरे से रक्त संबंधित मानने लगे | जिसका परिणाम यह हुआ की आगे चलकर के रक्त संबंधित विवाह को निषिद्ध कर दिया गया| ब्राह्मण के विवाह में गोत्र और प्रवर का बड़ा महत्व हैं| यदि कोई कन्या सगौत्र हो, किन्तु सप्रवर न हो, या सप्रवर हो किन्तु सगौत्र न हो, तो ऐसी कन्या से विवाह की अनुमति नहीं हैं| कन्यादान के पूर्व वर और वधू के पूर्वजों के नामों की गोत्र तथा प्रवर सहित वसुदेव और हरिहर के अनुसार एक बार उच्चे स्वर से सूचना दी जाती हैं| जिससे विवाह में उपस्थित लोगों को यह पता चल जाए की वर और वधू उच्च कुल के हैं| जिनके पूर्वजों की परंपरा अनेक पीढ़ियों तक चलती हैं|[8]

उपरोक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं की एक गोत्र में शादी करना शास्त्रों के द्वारा निषिद्ध हैं| यह नियम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बर्बर, असभ्य, अर्धसभ्य और सभ्य जनों में भी प्रचलित हैं| जिन जनों में गोत्र व्यवस्था नहीं हैं| वहाँ टोटम (धार्मिक चिह्न) उनका कार्य करता हैं| अर्थात एक समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग करता हैं|[8] विवाह निषेध सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी हैं| रोम नगर के अति प्राचीन काल में रोमी गोत्र के सिद्धांत के अनुसार गोत्र के भीतर विवाह करना वर्जित था| हालांकि की रोम में इस सिद्धांत को कभी भी लिखित कानून का रूप प्राप्त नहीं हों सका| फिर यह आज एक प्रथा के रूप में प्रचलित हैं| रोम के जिन असंख्य विवाहित जोड़ों के नाम आज हम जानते हैं| उनमें एक भी जोड़ा ऐसा नहीं हैं जिसमें पति-पत्नी का गोत्र नाम एक हो|[9] लेकिन कुछ ग्रंथ सगोत्र विवाह का वर्णन करते हैं | तो वही मनुस्मृति सगोत्र विवाह से उत्तपन्न संतान को वैध मानने से इंकार कर देता हैं| खैर यह सभी नियम उस समय की परिस्थितियों के अनुसार रही होगी| अब हम गोत्र, संपिंड, प्रवर और विवाह निषेध की प्रक्रिया से निकलकर के जाटों के गोत्र पर आते हैं|

जाट समुदाय और गोत्र

यहाँ हमारा मुख्य उद्देश्य सिर्फ गोत्र से संबधित एक संक्षिप्त परिचय देना था| ताकि हम गोत्र, प्रवर, संपिंड और विवाह निषेध की प्रक्रिया को जान सकें| जो कब परंपरा से रूढ़िवादियों में बदल गयी पता ही नहीं चला| जहां जाटों का गोत्र के साथ संबंध का सवाल हैं तो जाटों के गोत्रों की संख्या लगभग 2500 से भी अधिक हैं| एक तरफ जहां ब्राह्मणों का गोत्र ऋषियों के द्वारा निर्धारित होता हैं तो वही जाटों का गोत्र मुख्य रूप से उनके कार्य पद्धति, स्थान और उपाधि के आधार पर निर्धारित होता है| डॉ. सूरजभान भारद्वाज का जाटों के गोत्र के विषय में यह मत हैं की जाटों का जहां भी उल्लेख हुआ है वह किसानों के रूप में हुआ हैं| उत्तरी भारत में "जाट" शब्द का प्रचलन आमतौर से दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद इंडो-पर्सियन स्रोतों में मिलता हैं| खरक फ़ारसी भाषा का शब्द हैं जिसका अर्थ पशुओं का बड़ा होता हैं| हम जानते हैं की कृषि कर्म में पशुपालन कितना महत्वपूर्ण धंधा होता हैं| जो पशुओं को बडा करके बंजारों को बेचते हैं| यह उसी तरह है जिस तरह दिल्ली सल्तनत के समय अमीर बाजार से ख़रीदे गुलाम को योग्य बना करके सुल्तान को बेचते थे| जब बंजारे बरसात के समय अपने बैलों को लेकर के काही फस जाते थे| तो इन बैलों को खरक में चरने के लिए छोड़ देते थे| जिससे वहाँ के स्थानीय जाटों का गुजारा चलता था| इसलिए जो जाट परिवार इन खरकों से जुड़ा उनकी भी पहचान भी बैलों से बन गई| जैसे ढाड़ा (बडा बैल), बेडका (जवान बैल) और बाछड़ा (छोटा बैल) आदि| फिरोज़शाह तुगलक के पहले हिसार शहर नहीं था| वहाँ सिर्फ गाँव थे बाद में फिरोज़शाह तुगलक नें एक शहर की नीव रखा और इसका नाम हिसार फिरोज रखा| इसी इलाकों में फिरोज़शाह नें बड़ी-बड़ी नहरों का निर्माण करवाया| जो कैथल, जींद, हिसार और हासी के इलाकों में फैली हैं| जब फिरोज़शाह तुगल नें नहरों का निर्माण कार्य पूरा करवाया तो इतना तो निश्चित हो गया था की अब कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा| फिरोज़शाह तुगलक के समय किसान अपनी खेती के सिचाई के लिए पानी का प्रयोग इन्ही नहरों से करते थे| जो किसान नहर से पानी लेते थे उनके लिए किसान अधिकारी अपने लगान दस्तावेज़ में इनके लिए "नहरा" शब्द का प्रयोग करने लगे| जो आगे चलकर के "नहरा गोत्र" के रूप में प्रचलित हो गया| "मालिक गोत्र" के संबंध में भी यही कहा जा सकता हैं की ये सेना के अधिकारियों से जुड़े होंने के कारण बनी हों| मध्यकाल में अमीर, मलिक और खान एक पदवी होता था| जो महत्वपूर्ण सरदारों को प्रदान की जाती थी| "दलाल गोत्र" की पहचान भी व्यवसाय से बना हैं| सीधे शब्दों में कहा जाये तो "बिचौलिया"| जो किसान और अनाज व्यापारी के बीच की कड़ी थे| यह संभव हैं कि दलाल और बिचौलियों का उल्लेख प्राचीन समय में सार्थवाहन, निगम, सार्थ और श्रेष्ठी के रूप में मिलता हैं| जो व्यापारियों के ही अंग थे जो आगे चल करके संभवत दलाल एक गोत्र के रूप में विकसित हो गया| जाटों के कुछ गोत्र स्थान और क्षेत्र के आधार पर भी बने हैं जैसे - काल, दरिया और बागड़ी आदि| कुछ गोत्र ऐसे हैं जो राजपूत, गुज्जर, जाट, बिसनोई और हरिजनों मे आम हैं जैसे-पवार, राणा, चौहान दहिया, कटारिया, गोदरा, पुनिया और गोढ़वाल आदि| इसी तरह राजस्थान में अनेक जाटों के गाँव गोत्र के नाम पर बने हैं| जैसे - सिनसिनवाल, सोगरिया, और सोरोत आदि| माना जाता हैं की सिनसिनी जाट विद्रोह का मजबूत गढ़ था| जो इनकी पहचान गोत्र बन गई| इसी तरह सोगर और सोरोत गाँव के जमीदारों का साथ देने के कारण जाटों की पहचान जामदारों के गाँव से बन गई| जो बाद में एक गोत्र के रूप में बदल गई| मारवाड़ इलाके में सबसे पुराने बासिंदे गोदरा और पुनिया जाट माने जाते हैं| ईदाणा, मूडेल, जलवानिया, डीडेल, और वरण गवां आदि गाँव गोत्र के नाम से ही बने हैं|[3] उपरोक्त विवरण से यह निष्कर्ष निकलता हैं की जहां ब्राह्मणों के गोत्र ऋषि मुनियों से संबधित है तो वहीं जाटों के गोत्र व्यवसाय, स्थान, कृषि, पशुपालन, क्षेत्र और जमीदारों से संबंधित हैं| यही कारण हैं की हरियाणा के अधिकांश गाँव गोत्र और भाईचारे पर आधारित हैं| अर्थात समाज में जीतने कुल है यदि उनको एक साथ संग्रह किया जाए तो परिवारों की संख्या लाखों क्यां अरबों तक भी हो सकती हैं| सम्पूर्ण संकलन या संग्रह धर्म-शास्त्र में संभव नहीं हैं|[5]

गोत्र से संबंधित सर्वखाप पंचायतों की बैठक और मुद्दे

खाप पंचायतें सिर्फ गोत्र के आधार पर ही नहीं बल्कि आनुवंशिकता के आधार पर भी सगोत्र विवाह का विरोध करती हैं| यहाँ पर इस बात का उल्लेख कर सकते हैं सगोत्र विवाह को लेकर के खुद खाप पंचायते ही नहीं बल्कि धार्मिक ग्रंथ भी एक मत नहीं हैं| जहां मनुस्मृति एक गोत्र में उत्तपन संतान को वैध नहीं मानता हैं| तों वही अन्य स्थान पर कहा गाय है कि यदि

एक पुरुष किसी सगोत्रीय स्त्री से विवाह करे तो उसे चंद्रपण पशाचाताप अवश्य करना चाहिए| जिसमें एक महान कठोर व्रत के बाद अपनी पत्नी को अपनी भगिनी के समान रखना चाहिए तथा ऐसे विवाह के बाद उत्तपन संतान पर कोई कलंक नहीं लगता हैं|[7] इस तरह शतपथ ब्राह्मण में तीसरी या चौथी पीढ़ी में भाइयों और बहनों के विवाह का उल्लेख मिलता हैं| स्वय कण नें तीसरी पीढ़ी में एक लड़की के साथ विवाह किया था| सौराष्ट्र में ऐसे अनेक विवाह का वर्णन मिलता हैं जो चौथी पीढ़ी में हुये थे| हालांकि सप्रवर विवाह का निषेध गृह सूत्रों में ही प्राप्त होता हैं| परंतु सगोत्र विवाह का निषेध नहीं किया गया हैं आपस्तम्ब, कौशिक, बौधायन और पराश्कर सभी प्रवर का निषेध करते हैं गोत्र का नहीं|[8] ऊपर जिन मतों का विवरण दिया गया हैं वह सभी धार्मिक ग्रन्थों के आधार पर हैं| अब इस पर खाप पंचायतें या गोत्र कि पंचायतें क्यां कहती हैं| यह काफी रोचक हैं| क्योंकि यहाँ भी कोई एक मत नहीं हैं| खाप पंचायतों का कहना हैं की यदि आनर किलिंग को रोकना हैं तो सम-गांव और सगोत्र में होने वाले विवाह पर रोक के साथ-साथ हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 में संशोधन किया जाये|[10] सोरम की सर्वखाप पंचायत में भी हिन्दू मैरिज एक्ट 1955 के साथ-साथ विशेष विवाह अधिनियम में संशोधन कर सगोत्र विवाह पर प्रतिबंध लागते हुए पंजीकरण नहीं करने का प्रस्ताव दिया हैं|[11] 17 जून को मलिक खाप के मुख्यालय गाँव गोहाना के आहुलाना में रविवार को कुछ अहम सामाजिक मुद्दों को ले करके मलिक खाप की पंचायत हुई| जिसकी अध्यक्षता खाप के प्रधान दादा चौधरी बलजीत सिंह मलिक जी ने की थी| इस बैठक में कहा गया की एक गोत्र में शादी नहीं हो सकती हैं| शादी के लिए दो गोतों (माता और पिता) को छोड़ना होगा|[12] हालांकि की सतरोल खाप के साथ-साथ सांगवान खाप नें अंतरजातीय विवाह को मान्यता दे दी हैं| लेकिन सांगवान खाप नें कहा है कि वैवाहिक रिश्ते पूर्व कि तरह ही दादा व भांजी के गोत्र में नहीं हो सकेगे|[13] इसके अलावा यदि प्रेमी जोड़े एक ही गोत्र या एक ही गाँव के हैं और आपस में शादी करना चाहते है| तो इसकी आज्ञा दी जा सकती हैं बशर्ते उन्हे गाँव से दूरी बनानी होगी| यह फैसला हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों से आये 80 से अधिक खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों कि बैठक में सर्वसम्मिती से लिया गया|[14] जब दूतीय सर्वगोत्रिय खाप मुखिया महासम्मेलन का आयोजन 6 सितंबर 2009 को आयोजित किया गया| तो उसमें यह प्रस्ताव पारित हुआ कि यदि व्यक्ति चाहे तो शादी करते वक़्त दादी का गोत्र छोड़ सकता हैं|[15] हालांकि कि इस सम्मलेन से पहले भी 8 सितंबर 2002 को सर्व गोत्र मुखिया महासम्मेलन का आयोजन सर छोटू राम पार्क, रोहतक में आयोजित किया गया था| जिसमें यह प्रस्ताव रखा गया की अगर बच्चे की दादी जिंदा हैं तो दादी का गोत्र छोड़ दिया जाए अन्यथा शादी करा दी जाये|[16] अर्थात शादी के लिए गोत्र को अनिवार्य नहीं माना जाये| इसी सम्मेलन में कहा गया की गोत्र विवाद तब तक कोई बड़ा विवाद नहीं बनता जब तक इसमें चोरी न की जाएँ| छिपाकर के रिश्ते करने पर ही गोत्र विवाद खड़े होते हैं| अगर गोत्र विवाद उठते भी है तो पंचायती भाई इसे अपने अंह से जोड़ करके इसे और भी जटिल बना देते हैं| ऐसे भाइयों को अपना अंह छोड़ना चाहिये|[17] इसी क्रम में आगे कहा गया की कुछ लोग गोत्र विवाद को मुद्दा बना करके बखेड़ा खड़ा कर देते हैं| अब उन्हे सुधरना होगा | जहां तक संभव हो अपनी माँ का गोत्रा और यदि दादी ज़िंदा है तो उसका गोत्रा बचाया जाये| बल्कि मैं तों यह कहता हूँ की रिश्ते कर देने चाहिये मेरे गाँव में 11 गोत्र के लोग रहते हैं यदि उसे बचाया जाये तो मेरे गाँव में तो शादी ही होनी बंद हो जाये| जो काम हो सकता हैं उसे होने देना चाहिये उन पर बे वजह विवाद क्यूँ|[18] यह बात सही है की खाप की सामाजिक संरचना में गोत्र की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हैं| जिस पर चौधरी महताब सिंह का कहना हैं की मेरे गाँव में 13 गोत्र के लोग हैं | यदि उन्हे छोड़ने लगे तो हमारे यहाँ तो रिश्ते ही बंद हो जाएगे|[19] यहाँ कोई गोत्र का समर्थन कर रहा है तो कोई रिश्तों की दुहाई दे करके गोत्र का विरोध कर रहा हैं| यही विवाद सतरोल खाप में भी तब उठा जब खाप नें अपने 42 गाँव में अंतरजातीय विवाह को मान्यता दे दी| जिसका परिणाम यह हुआ की पेटवाड़ तपा नें इसका कडा विरोध करते हुए सभा से उठ करके चले गये| कामरेड रघुवीर सिंह का कहना था की खेड़ा यानि गाँव का गोत्र माना जाना चाहिये बाकी नहीं|[20] रघुवीर सिंह के कथन का विश्लेषण करे तो ज्ञात होता हैं की हर गाँव का अपना गोत्र होता हैं| जैसे की जिस गाँव में मलिक की जनसंख्या ज्यादा हैं वह मलिक गोत्र के नाम से जाना जाने लगता हैं| लेकिन कभी-कभी होता यह है की किसी गाँव में मुख्य गोत्र के अलावा अन्य गोत्र के भी लोग उस गाँव में बस जाते हैं| जिन्हे पहले के रहने वाले गोत्र के लोगों के बनाये नियम को मानना पड़ता हैं| रघुवीर सिंह यही कहना चाहते थे की गाँव का जो मुख्य गोत्र हैं उसे ही छोड़ा जाये और अपने नियम अपने गोत्र ले लोगों पर लागू किया

जाये| इसी सम्मेलन के तीसरे प्रस्ताव में कहा गया की विवाह संबंध स्थापित करते समय यदि दादी की मृत्यु हों चूकी है तों दादी के गोत्रा को छोड़ने की ढील दे दी जाये| यदि किसी व्यक्ति का मन मानता हैं और दादी का गोत्र छोड़ देता हैं तो उसे दंडित नहीं किया जाएगा| दादी की मृत्य के बाद दादी के गोत्र विवाह संबंध स्थापित किए जा सकते हैं|[16] दरअसल गोत्र के मामलें सिर्फ राजनैतिक, सरकार की दखलअंदाजी और न्यायालयों की चिंता आदि से कुछ होने वाला नहीं हैं| इसलिए दो बातों को जानना जरूरी हैं| पहला तो यह है की जाट कौम की विवाह आदि संबंधी के बारे में जो मान्यता हैं| उनका पुनःनिरीक्षण करना और दूसरा यह कि इन मान्यताओं के वैज्ञानिक आधार कि तलाश करना|

खाप क्षेत्र के अंतरगर्त वैवाहिक नियम

जाटों को हरियाणा में ज़्यादातर देशवाली जाट और बागड़ी जाट के आधार पर पहचान हैं| देशवाली जाटों में गोत्र को पूरा सम्मान दिया जाता हैं| विवाह शादियों में जाट माँ, दादी और अपना गोत्र बचाकर के शादिया करते हैं| सामाजिक मर्यादा के अनुसार उसी गाँव में शादी नहीं हो सकती हैं| यहाँ तक की गाँव की सीमा से लगते अन्य गोत्र के गाँव में आपसी रिश्ते और नाते नहीं किये जाते हैं| अर्थात शादिया करते समय चार-पाँच कोस या दस किमी तक का फासला रखा जाता हैं| एक गाँव में एक से अधिक गोत्र होने के कारण बड़े गोत्र वाली छोटी गोत्रीय लोगों के साथ भाई-चारे का पूरी तरह से लिहाज़ रखते हैं| आपसी भाईचारा के आधार पर एक गाँव में कई गोत्र होने पर, सब आपस में, शादी करते समय, एक दूसरे के गोत्र का सम्मान स्वरूप आदर करते हैं और सभी गोत्रों को बचा करके के शादी की जाती हैं, जिन-जिन गोत्रों के लोग उस गाँव में बस्ते हैं| देशवाली जाट इस प्रथा को पूरी तरह से निभाता ही हैं| हालांकि गाँव में जाट के अलावा अन्य बिरादरी के लोग भी रहते हैं| जाटों की तरफ से गाँव में बसने वाली अन्य बिरादरी को यह छूट हैं कि वे चाहे अपनी जाति में नाते-रिश्ते स्थापित करे| हालांकि यह सभी नियम देशवाली जाटों में ही हैं बागड़ी जाटों में नहीं हैं| अधिकांश खाप पंचायतें गोत्र या अपनी जाति से ही संबंधित होती हैं| हालांकि खाप को कोई नाम देना होता हैं तो समुदाय के प्रचलित गोत्र को ही खाप का नाम दे दिया जाता हैं| जितनें गोत्र होते हैं उतनी ही छोटी से लेकर के खाप पंचायतें भी होती हैं| जिसमें "पाल"नाम के संगठन भी आते हैं| जो खाप का ही एक छोटा रूप होता हैं| दूतीय अध्याय में खाप की संरचना पर मुख्यत गोत्र, गवाहड़ और भाईचारा पर आधारित होती हैं| "आमतौर पर विवाह संबंध अपनी खाप और गोहाँनडी से बाहर ही किए जाते हैं| चाहे दूसरे क्यों न बसे हों| अपनी खाप में जो लोग भी बसते हैं, सब भाईचारे के अंतरगर्त होते हैं, ऐसी मान्यता हर जगह पाई जाती हैं|[21] गोत के लोग किसी गाँव में यहाँ के सभी गाँव के दूसरे से गोत्र से जुड़े होने के कारण उस गाँव के सभी लोग रिश्ते के अंतरगर्त आने लगते हैं| अर्थात इन सभी गाँव में रहने वाले सभी लड़के और लड़की एक दूसरे के भाई और बहन के साथ-साथ एक दूसरे के गाँव की बेटी लगने लगती है| जिसका परिणाम यह होता हैं की गाँव के गाँव में शादी नहीं की जाती हैं| ऐसा इसलिए की कोई अपनी बेटी का विवाह अपने भाई के साथ नहीं करेगा| यदि कोई कर भी लेता हैं तो गाँव की बेटी होने के कारण उसे कोई अपने गाँव की बहू स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता हैं| सन 2007 के मनोज और बबली प्रकरण में भी यही हुआ था| दरअसल सारा मामला गोत्र और एक ही गाँव का था| मनोज का गोत्र और बबली का गोत्र "बनवाला" था| दोनों एक ही गाँव कैथल के करोड़ा गाँव के थे| करोड़ा गाँव बनवाला गोत्र की बहुलता वाला गाँव हैं| दोनों का गोत्र एक होने के कारण खाप के नियमानुसार दोनों का आपस में भाई और बहन का रिश्ता था| इसके अलावा एक ही गाँव के होने के कारण तो गाँव का कोई सदस्य इस वैवाहिक रिश्ते को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं था| हालांकि मनोज को माँ चंद्रावती को यह विवाह मंजूर था पर बबली के परिवार वालों को यह रिश्ता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं था| जिसका परिणाम मनोज और बबली के हत्या के रूप में सामने आया| खापों का यह नियम दिल्ली के आस-पास 150 से 200 मिल के क्षेत्र विशेषकर जाट, अहीर, राजपूत, गुज्जर, खाती, लुहार धोबी, नाई, तेली और बाल्मीकी इत्यादि बस्ते हैं| जिनमे सामाजिक परम्पराओं का प्रचलन हैं वहाँ रिश्ते में लगते भाई-बहन, बुआ-भतीजा, चाचा-भतीजी शादी नहीं कर सकते हैं|"[22] विवाह के लिये खून और दूध को छोड़ना अनिवार्य हैं| खाप क्षेत्र के अंतरगर्त बहुत सारे गाँव आते हैं| मान ले की किसी खाप के अंतरगर्त 100 गाँव आते हैं और वह सभी गाँव बगल में हो या दूर कही बसे हैं| गाँव जिस गोत्र का होगा अर्थात नंबरदारी जिस गोत्र की होगी उस गोत्र की लड़की का विवाह इन सभी गांवों में नहीं होगी बहू बनके गाँव में नहीं आ

सकती हैं| वह लड़की इन सभी गांवों की लड़की मानी जाएगी| ये तो बात उन गांवो की हुई जो एक ही गोत्र पर आधारित हैं| लड़की और लड़के का विवाह उस गाँव में भी नहीं हो सकता जो गाँव एक दूसरे के अगल-बगल बसे हैं| जिन्हे खाप के नियमों के अनुसार भाईचारे के गाँव या गवाहड़ (पड़ोसी गाँव) कहते हैं| इसका कारण यह हैं की पुराने समय जो भी धारणा रही हो के अनुसार जब कोई समस्या किसी गाँव में उत्तपन होती थी तो उसे आस-पास के गाँव आपस में मिल करके समस्या का हल निकालते थे| अर्थात सीमा सिमाली यानी साथ लगते गाँव की लड़की पुरानी परंपरा अनुसार आज भी बहन का दर्जा रखती हैं| उसके साथ शादी नहीं हो सकती हैं| इसी क्रम गाँव में जहां पहले से ही एक गोत्र के लोग हैं जो मुख्य गोत्र के अंतरगर्त आते हैं| जिन्होने अपने गाँव को बसाया हैं| यदि वह दूसरे गोत्र के लोग आकार के रहते हैं तो उन्हें गाँव में पहले रहने वाले गोत्र के नियमों को मानना पड़ता हैं| जिसके अनुसार उनके बीच भी शादिया नहीं हो सकती भले ही एक दूसरे का गोत्र क्यूँ ना अलग ही हों "ढ़राणा गाँव में रवीद्र और शिल्पा के के मामले में भी यही हुआ था| दोनों का गोत्र अलग-अलग होने के बाद भी उनकी शादी मान्य नहीं थी| ऐसा इसलिए की रवीद्र का गोत्र अहलावत और शिल्पा का गोत्र कादियान था| इस मामले में विवाह कर के लाई गई लड़की समस्त गोत्र खाप के लिए अपनी बेटी के समान हुई इसलिए खाप के लोगों को यह मंजूर नहीं था की उनके गोत्र की बेटी उनके बीच किसी और की वधू बन कर के रहे|[23] उपरोक्त कथन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता हैं की भले गाँव अलग हों और लड़का और लड़की का गोत्र ही क्यूँ ना अलग हो यदि एक दूसरे के गाँव के बीच भाईचारे का संबंध हैं तो उनके बीच शादी नहीं हो सकती हैं| शादी तभी हो सकती जब ऐसा गाँव ख़ोजा जाये जो भाईचारे के अंतरगर्त नहीं आते हों| यदि कोई गाँव किसी गाँव के बगल में हैं और उसका संबंध बगल के गाँव से भाईचारे के आधार पर स्थापित नहीं हैं | तो शादी करने के लिए बहुत दूर के गाँव में जाने की जरूरत नहीं पड़ती हैं| भले ही क्यूँ नहीं भारत वर्ष का क़ानून कुछ भी कहे| भाईचारे के सिद्धांत और नियमों के तहत गोत्र अलग होने के बाद भी विवाह स्वीकार नहीं कर सकते हैं| जहां तक गोत्र का सवाल हैं तो वैसे भी लोग एक गोत्र में शादिया नहीं करते हैं| वैवाहिक प्रतिबन्धों का मुख्य आधार गोत्र ही हैं| एक ही गोत्र के सभी लोग, स्त्री-पुरुष, छोटे-बड़े और अमीर-गरीब सभी कों गोती भाई माना जाता हैं|"[24]

निष्कर्ष

इस आलेख का निष्कर्ष यह है की भले गाँव अलग हों और लड़का और लड़की का गोत्र ही क्यूँ ना अलग हो यदि एक दूसरे के गाँव के बीच भाईचारे का संबंध हैं तो उनके बीच शादी नहीं हो सकती हैं|

संदर्भ सूची

1. पाण्डेय गणेश (2008). भारतीय सामाजिक व्यवस्था. पृ. 96
2. कोसंबी डी.डी. (2016). विचारधारा और अन्य लेखन में संयुक्त विधिया, पृ. 7 http://www.arvindguptatoys.com/arvindgupta/ddkindopartone.pdf
3. भारद्वाज सूरजभान (2011) पंचायत और गोत्र: एक एतिहासिक विश्लेषण, उद्भावना. गाजियाबाद, पृ. 12
4. स्वदेशी ब्लाक पोस्ट (2014). देखे, क्या हैं गोत्र का रहस्य एवं महत्व, उपलब्ध. http://savdeshi.blogspot.in/2014/09/starting-of-gotra.html
5. अग्रवाल वासुदेवशरण (1996) पाणिनीक़ालीन भारतवर्ष, पृ. 106
6. मुखर्जी राधाकुमुद (1990) अनुवादक, अग्रवाल, वासुदेवशरण, हिन्दू सभ्यता. पृ. 137
7. बाशम ए.एल., अनुवादक पांडेय वेकटेशचंद्र (2016), अदभूत भारत पृ. 108-109, http://bharatdiscovery.org/india
8. पाण्डेय राजबली (2006). हिंदू संस्कार. पृ. 272
9. एंगल्स फ्रेड़रिख (2014). अनुवादक और संपादक, नरेश "नदीम" परिवार, निजी संपति और राज्य, पृ. 130
10. रिपोर्ट, अमरउजाला, चंडीगढ़, (2015), विवाह के सम्बन्द में खाप पंचायत के महत्वपूर्ण निर्णय. Available at,http://Chandigarh.amarujala.com/feature/city-news-chd/important-decisions-of-khap-panchayat-at-marriage-issu-hindi-news/ मई, 30,
11. रिपोर्ट, चौधरी सिंह, काबुल, (2016) अखिल जाट युवा संघ. Available at, http://akhiljaatyuvasangh.com/page.php?id=81
12. रिपोर्ट (2013). गठ्वाल खाप रेलाक्सेस गोत्र विवाह नियम "हमारे संवाददाता" जून, 17, Available at, http://www.tribuneindia.com/2013/20130681/Haryana.htm12

13. रिपोर्ट (2012). कलेक्शन खाप पॉजिटिव सोसिअल वेर्दिक्ट्स, पेज २, अप्रैल, 16, Available at, http://www.jatland.com/forums/showthread.php/30884-collection-khap-s-posiive-social-verdictspage2

14. रिपोर्ट (2013), शादी के लिए हां, लेकिन गांव में एन्ट्री नहीं, March, 2, Available, at, http://hindi.oneindia/in/news /2013/02/03/haryana-khap-panchayat-softens-onlove-marriages-226349.html/

15. दूतीय सर्व गोत्र मुखिया महा सम्मेलन, 6 सितंबर, (2009). ग्रामीण भारत अधिकार मंच, स्थान, सर छोटू राम पार्क, सिविल रोड, छोटू चौक, रोहतक, आयोजक और प्रकाशक, हरियाणा नवयुवक कला संगम, रोहतक, 48, सैक्टर-1, रोहतक-124001.

16. कुंडु सतीश कुमार, रणसिंह, पूर्व प्रधान, अठगाँमा, गोत्रा मुखिया, (2002). सर्वगोत्र खाप मुखिया महासम्मेलन, 8, सितंबर, 2002 ग्रामीण भारत अधिकार मंच, स्थान, सर छोटू राम पार्क, सिविल रोड, छोटू चौक, रोहतक, आयोजक और प्रकाशक, हरियाणा नवयुवक कला संगम, रोहतक, 48, सैक्टर-1, रोहतक-124001 पृ. 12

17. दहिया रामफल सिंह (2010). दहिया गोत्र मुखिया, पृ.12

18. सिंह सत्यवीर (2010).ओहलान गौत्र मुखिया, सरपंच, नयाबांस, पृ.13

19. चौधरी सिंह, महताब राणा (2010). गोत्र प्रतिनिधि, पृ.14

20. कामरेड सिंह, रघुवीर (2010). गोत्र प्रतिनिधि, पृ.14

21. दहिया सुरजभान (2010). दहिया स्मृति पृ.1

22. हरियाना के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा (2012). सर्व खाप पंचायतों के द्वारा लिखा गया पत्र | जिसकी प्रति शोधर्थी के पास उपलब्ध हैं |

23. सिंह रणवीर (2009). गोत्र खाप में विवाह का वैज्ञानिक आधार एवं जाट समाज की चिंताओं और समस्याओं का निराकरण समाज, विज्ञान, खाप और मीडिया, ग्रामीण भारत अधिकार मंच, 221 माडल टाउन, रोहतक.

24. चौधरी डी.आर. (2013). अनुवादक कुमार मुकेश, खाप पंचायतों की प्रासंगिकता, 26